भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3580

10.08.2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल

3580. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'एक राष्ट्र एक मिशन' पहल के तहत प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति के लिए अनुमानित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सभी स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए 'राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल' को अनिवार्य बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दिशा-निर्देश लागू किए जाने के बाद से प्लास्टिक प्रतिबंध और पुनर्चक्रण प्रयासों के मापने योग्य प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या गैर-अनुपालन के लिए दंड की कोई व्यवस्था है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने 5 जून, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'एक राष्ट्र, एक मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण का उन्मूलन' विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 से पूर्व आयोजित एक माह तक चलने वाली पूर्व-अभियान कार्यकलापों के अंतर्गत देशभर में लगभग 69,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लगभग 21 लाख लोगों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 के आयोजन में 'संपूर्ण सरकार तथा 'संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण के अनुरूप उद्योग जगत, नागरिक समाज, विद्यार्थियों, राज्यों के सरकारी अधिकारियों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण अभियान (एनपीपीआरसी), दिनांक 5 जून, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न नियोजित गतिविधियों की

श्रृंखला आयोजित की गई, संचालित किया गया। इस अभियान में "स्वच्छता ही सेवा" कार्यक्रम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए गतिविधियां शामिल थीं। इन गतिविधियों में विशेष रूप से विशेष अभियान 5.0 के दौरान सरकारी कार्यालयों में परिहार्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा एकल-उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर एक हैकाथॉन का भी आयोजन किया गया।

(ख): दिनांक 14 मार्च, 2024 को अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 के अनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय तथा जिला स्तर की पंचायत को निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवर्ष 30 जून तक अपनी वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होती है। यह रिपोर्ट क्रमशः शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को भी प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है। राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत दिनांक 5 जून, 2025 को किया गया। वार्षिक रिपोर्टों का अनिवार्य ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण बहु-स्तरीय भौतिक रिपोर्टिंग व्यवस्था से हटकर डिजिटल एवं अधिक प्रभावी रिपोर्टिंग प्रणाली की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।

(ग): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 12 अगस्त, 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित किए, जिनके माध्यम से कम उपयोगिता तथा अधिक कूड़ा फैलाने की संभावना वाले चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) उत्पादों पर दिनांक 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगाया गया। चिन्हित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध ने पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के अभिनव विकास को गति दी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा तैयार "प्रतिबंध वाले एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के निर्माताओं/विक्रेताओं का संकलन" विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 पर जारी किया गया था। यह प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के 1064 निर्माता/विक्रेताओं का दस्तावेजीकरण करता है।

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक दायित्व पोर्टल पर 65,241 उत्पादक, आयातक एवं ब्रांड स्वामी तथा 3,117 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता पंजीकृत हैं। दिनांक 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक दायित्व दिशानिर्देश अधिसूचित किए जाने के बाद से लगभग 233 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जा चुका है।

(घ): प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में 'प्रदूषक भुगतान करे' सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने का विशेष प्रावधान किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने

अगस्त, 2024 में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आकलन हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिबंध के प्रभावी प्रवर्तन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा देशभर में नियमित रूप से प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा एकल-उपयोग प्लास्टिक अनुपालन निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, कुल 8,61,740 निरीक्षण किए गए हैं। इस दौरान प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक की 1,985 टन सामग्री जब्त की गई है तथा ₹19.82 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
